Dtd. 22.07.2017

सेवा में,

The Chairperson
Punjab State Human Rights Commission
SCO 20-21-22, Dakshin marg, Sector 34 A,
Chandigarh, 160022

विषयः <u>नवनीत कौर, भाई सुखदेव सिंह, भाई अमृतपाल सिंह व उसके पिता जोगिंद्र सिंह द्वारा साजिश करते हुये और पुलिस को गुमराह करते हुये हम पर झूठी F.I.R. दर्ज करवा कर हमें झूठे केस में फँसाने के मामले की जाँच करते हुये दोनों के व F.I.R. दर्ज करनेवाले जिम्मेदार भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करते हुये उन्हें सजा दिलाने बाबत|</u>

महोदय,

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पताः मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007 Mob. 81467-61055) हूँ और मेरे मित्र लक्की उर्फ जयहिन्द पुत्र हीरालाल (मकान नं. 14119, गली नः 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) है| हम दोनों पर [redacted] कौर पुत्री जोगिन्दर सिंह (पताः मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड़, लुधियाना – 141007) ने अपने भाईयों के साथ मिलकर साजिश करके झूठी FIR No. (D.D.R. No. 23 dtd. 22.06.2017) डिविजन नं. 1 (कोतवाली) पुलिस थाने में करवाई| [redacted] कौर ने मुझ पर और लक्की पर यह आरोप लगाया कि, 'दिनांक 21/06/2017 को सुबह के करीब 11:30am बजे से दिन के 12:00pm बजे मै अपने घर टिब्बा रोड से पवेलियन मॉल पुरानी कचहरी के बासते मै अपनी Activa स्कूटर पर सवार होकर आ रही थी जब मै घण्टा घर से पुल पुरानी कचहरी की तरफ जा रहा है तभी पुल पर 2 लड़के एक Bike पर सवार होते हुये मेरे साथ मारपीट करके निकले जिन्होने मेरे बायें(Left) कंधे पर किसी तेजधार हथियार से वार करके मुझे जखमी कर दिया जिसकी वजह से जख्म की जगह से खून निकल रहा था| मुझे पूरा यकीन है कि ये बारदात करने वाले दोनों लड़के जिनका नाम लकी गुप्ता उर्फ जय हिंद और दूसरा लड़का इसका दोस्त मुकेश ठाकुर जिनके साथ हमारा पहले भी झगड़ा हुआ था |

[redacted] कौर द्वारा लगाये गये इस झूठे आरोप में इसका भाई और पिता पूरा साथ दे रहे हैं| अगर इस मामले की कोई ईमानदार अधिकारी अच्छे से जाँच करें तो सिर्फ 5 मिन्टों में पता लगाया जा सकता है कि ये मामला झूठा है|

1. लड़की अपने ब्यान में बोल रही है कि, 'मेरे बायें (Left) कंधे पर कोई तेजधार हथियार से मुझे जखमी कर दिया जिसमे से खून निकल रहा था', जबकि डॉक्टर साहिब ने अपनी MLR की रिपोर्ट के अनुसार खून नहीं निकला है और ना ही तेजधारवाले हथियार से जख्म हुआ है'| और [redacted] कौर ये बोल रही है कि उसे पूरा

यकीन है मतलब उस दिन उसके साथ जो मारपीट और हमला हुआ उसने अच्छे से देखा भी नहीं कि, हमला किसने किया और हम दोनों लोगो का नाम लगा दिया और हमारी पुलिस इतनी होशियार हो गई है कि सिर्फ [redacted] कौर के ब्यान पर ही केस दर्ज कर दिया जब पुलिस [redacted] कौर के झूठे ब्यान पर ही केस दर्ज कर सकती है तो मैं भी बोल रहा हूँ कि, पुलिस के साथ मिल कर [redacted] कौर के भाई जो कि सरकारी मुलाजिम है ने पुलिस को कुछ ले-दे कर या अपनी सिफारिश लगा कर मुझ पर केस दर्ज किया है| अगर [redacted] कौर सच बोल रही है तो पुलिस सबूत को मिटाने की कोशिश क्यों कर रही है? पुलिस को रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके [redacted] कौर का सच सामने लाना चाहिए था जिससे [redacted] कौर पर हमला हुआ भी है या नहीं ? इस सच का पता चल जाता| साफ है, [redacted] कौर ने हमले का झूठा आरोप लगाया है उसपर कोई हमला नहीं हुआ मगर अपने सरकारी मुलाजिम भाई सुखदेव सिंह के कहने पर हमें फँसाने के लिये यह झूठा आरोप लगाया है| अतः तुरंत हमारी शिकायत लेकर [redacted] कौर व उसके सरकारी मुलाजिम भाई सुखदेव सिंह पर झूठी शिकायत पुलिस को दिये जाने के मामले में F.I.R. दर्ज करते हुये जाँच करें और उन्हें सजा दिलायें|

2. पुल की शुरुआत में जो CCTV कैमरा लगा है अगर उसकी दिनांक 21.06.2017 को 11:00am बजे से 1:00pm बजे तक की CCTV फुटेज को जब्ती करके उसकी जाँच की जाये तब भी सच सामने आ जायेगा| हमने कई बार SHO साहब व जाँच अधिकारी अजीत सिंह (ASI) को लिखित व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर CCTV फुटेज के लिये कहा मगर उन्होंने ना तो फुटेज जब्ती किया और ना ही हमें दिखाने का काम किया बल्कि CCTV फुटेज रूपी सबूत को नष्ट करने के लिये समय बर्बाद करने का काम लगातार करते रहे जो निश्चित रूप से नष्ट हो चुकी होगी जिसके दोषी यह जिम्मेदार अधिकारी ही होंगे| फुटेज ना मिलने की वजह से हमें बेगुनाह होते हुये भी गुनहेगार साबित किये जाने की कोशिश यह भ्रष्ट अधिकारी करेंगे|

<u>इन अधिकारियों की लापरवाही व बहानेबाजी देखिये :</u>

- पहले तो SHO साहिब ने कहा कि, "Video रिकॉर्डिंग निकाल ली गई है"
- जब मैंने कहा कि, "मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई जाये और दी जाये"
- तब जवाब मिला कि, "यह रिकॉर्डिंग जाँच अधिकारी अजीत सिंह ASI के पास है उनसे ले लो और वो दिखा भी देंगे"
- जब अजीत सिंह जी से रिकॉर्डिंग दिखाने को कहा तो वो बोले कि, "अभी निकाली नहीं, कल आकर ले जाना"
- और जब कल दूसरे दिन गया तो कहा गया कि, "अभी समय नही है"
- लगभग 15 दिन ऐसी ही चला,
- फिर मैने ADCP-1 जी से कहा कि, "मुझे video रिकॉर्डिंग दिखाई जाये"
- तब ADCP-1 ने SHO साहब को फोन करके कहा कि, "इसे विडियो दिखायें"

- पर फिर भी आज तक नहीं दिखाई गई और न ही दी गई
- ADCP-1 के द्वारा SHO साहब को फोन किये जाने के बावजूद SHO साहब व जाँच अधिकारी अजीत सिंह (ASI) दोनों मेरे साथ टाईम पास करते रहे और इधर-उधर दौड़ाते रहे
- 20/07/2017 को मैं फिर कोतवाली गया तब जाँच अधिकारी अजीत सिंह (ASI) ने कहा की, "वहाँ कोई कैमरा नहीं लगा है"
- तो मैंने उनको कहा की, "पहले आप मुझे यह बतायें की, हमने नवनीत कौर पर हमला कहाँ पर किया था"
- तो वे बोले कि, "ट्रैन की पटरी के पास किया था"
- तो मैंने कहा की, "आपने तो DDR रिपोर्ट में घटनास्थल दूसरी जगह बताई है"
- फिर मैंने कहा कि, "चलो मान लेते हैं कि पटरी के पास हमने हमला किया, तो वहाँ भी कैमरे लगा हैं तो वहीं की रिकॉर्डिंग ले लेते हैं"
- तब वे बोले की, "वहाँ से मैं विडियो की रिकॉर्डिंग नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरा इलाका नहीं है और वह डिविजन नं. 8 में आता है"
- तो मैंने कहा कि, "अगर वो आपके इलाके में नही आता तो आपने फिर DDR रिपोर्ट क्यो बनाई"
- तो वो बोले कि, "ये तो 107/151 है, इसमें इतनी पूछ-ताछ नहीं की जाती"
- उन्होंने यह भी कहा कि, "मैं लिखित में जबाव भेज दूँगा"
- और मुझे वहाँ से जाने को बोल दिया

इस झूठी शिकायत की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती है, मम्मी मुझे अपराधी की निगाहों से देखने लगी हैं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नही है इसलिये बड़े विश्वास के साथ आपके पास न्याय माँगने के लिये आया हूँ। हमारा आप से निवेदन है कि, इस मामले की जल्द से जल्द जाँच की जाये और झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ F.I.R. दर्ज की जाये! ताकि हमें इन्साफ मिल सके।

आपका धन्यवाद!

Mukesh Thakur

मुकेश ठाकुर
Mobile No. 81467-61055

संलग्न दस्तावेज़ :

- DDR No. 23 dtd. 22/06/2017
- Medico Legal Report

भारतीय डाक
India Post

SP IND COL <141003>
GSTN No: APPLIED FOR
EP459507076IN
Counter No:1,OP-Code:06
To:COMMISSIONER OF,POLICE
LDH, PIN:141001
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:40grams, ,22/07/2017 ,13:41
Amt:18.00
,CGST @9% 1.5 ,SGST @9%: 1.50
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

EP45

भारतीय डाक
India Post

SP IND COL <141003>
GSTN No: APPLIED FOR
EP459507178IN
Counter No:1,OP-Code:06
To:CHAIRPERSON PB ST,HUMAN R COMMISSION
CHANDIGARH, PIN:160022
From:MUKESH THAKUR , LDH
Wt:40grams, ,22/07/2017 ,13:42
Amt:41.00
,CGST @9% 3 ,SGST @9%: 3.00
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

EP45

भारतीय डाक
India Post